

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228062, फैक्स नं: 0141-2228065

ई-मेल : rmsg@nic.in

क्रमांक : एफ. ३( )/आरएमएससी/वित्त/2012/145

दिनांक : २५.०४.२०१२

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,  
मेडिकल कॉलेज,  
जयपुर/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा।

प्रधानाचार्य,  
राजकीय दन्त महाविद्यालय,  
जयपुर।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार से औषधियों हेतु प्राप्त 10 प्रतिशत बजट से अत्यावश्यक औषधियों के क्रय बाबत।

विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु संबंधित बजट शीर्षों में बजट आवंटित किया गया है एवं लेखा अनुदान पारित किया जा चुका है। अतः विभिन्न संबंधित बजट शीर्षों में अत्यावश्यक औषधियों के स्थानीय स्तर पर क्रय हेतु जो राशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है, उसे अविलम्ब नियमानुसार संबंधित अस्पताल अधीक्षक को बजट आवंटित कराएँ जिससे कि राज्य सरकार की फलैगशिप योजना “मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना” का प्रभावी क्रियान्वयन सम्पादित हो सके।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार औषधियों हेतु कुल आवंटित बजट का 10 प्रतिशत का आवंटन प्रतिवर्ष संबंधित बजट शीर्षों में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा के अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों हेतु किया जाना है एवं 2012-13 (B.E.) में यह राशि आपको आवंटित भी की गई है। अतः आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों के लिए स्थानीय स्तर पर औषधियों के क्रय हेतु संबंधित बजट शीर्षों में नियमानुसार 10 प्रतिशत बजट अविलम्ब उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कराएँ तथा अत्यावश्यक औषधियों का क्रय कर रोगियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करायें।

प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उपशासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

प्रबंध निदेशक